

18/5/20  
पत्रावली पेश की। श्रीमान न्यायाधीश महोदय को शिवाजी न्यायालय में पेश किया।  
पत्रावली दिनांक 27-5-2020 को पेश की।

27-5-2020  
पत्रावली पेश की। श्रीमान न्यायाधीश महोदय को शिवाजी न्यायालय में पेश किया।  
पत्रावली दिनांक 5/11/2020 को पेश की।

5-11-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित  
है। शर्चना पत्र दिनांक 2-5-17 आदेश 2  
नियम 2 व आदेश 23 नियम 1 तथा 11  
C.P.C. बाबत वादी का वाद रुद्ध किया जाने  
हेतु बहल उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी  
ने कई दस्तावेज सुनी के साथ दस्तावेज  
पेश किये। वकील वादी ने अपनी बहल में  
शर्चना पत्र के जवाब में उचित तथ्यों की  
देखते हुए शर्चना पत्र स्वीकार नहीं किया  
जाने हेतु निवेदन किया। शर्चना पत्र एवं  
जवाब शर्चना पत्र का अवलोकन किया।  
तथा वाद पत्र का अवलोकन किया। वकील  
वादी ने अपनी बहल के दौरान RRD पृष्ठ  
274, RLW 2006(1) राज 0 पृष्ठ 62 तथा  
RLW 2008(2) RAJ पृष्ठ 269 तथा RLW  
1987 पृष्ठ 250 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।  
तथा वकील प्रतिवादी ने अपने शर्चना पत्र के  
समर्थन में RRD 2003 पृष्ठ 463 न्यायिक  
दृष्टांत पेश किये। जिनका सम्मान पूर्वक  
अध्ययन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया।  
उल्लूत वाद में वकील प्रतिवादी द्वारा उल्लूत  
शर्चना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित  
प्रतीत होता है। अतः शर्चना पत्र स्वीकार किया



Handwritten signature

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहका  
हुक्म  
में

जाता है। ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल बालापुरा  
के सम्बन्ध में चरण से. ५ में वर्णित भूमि  
बाबत उक्त बाद अन्तर्गत द्वारा 53,  
188 स Act खारिज किया जाता है। निर्णय  
मैंने द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर  
खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली  
बाद तन्मूलक कारखाना दफ्तर हो पचा  
डिली जारी है।

द्वारा  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ (बून्दी)